Title:Need to stop further reduction in the import duty on Soda Ash so as to save the indigenous Soda Ash industry in Gujarat and other parts of the country. – Laid.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सोडा एश की प्रचुर मात्रा है, देश के कुल उत्पादन का 94 प्रतिशत उत्पादन तो गुजरात के उद्योगों द्वारा ही उत्पादित होता है। राज्य में सोडा एश उत्पादन की कुल पांच इकाइयां हैं, जिसका कुल पूंजी निवेश 3300 करोड़ रूपया है व 8000 व्यक्तियों को इससे प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होता है। इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 21 लाख टन के लगभग है। सोडा एश उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल लाइमस्टोन एवं नमक के विपुल भंडार भी प्रकृति की कृपा से राज्य में विद्यमान हैं।

हालांकि यह उद्योग चिर विकसित है, लेकिन 1997-98 से सोडा एश के आयात के कारण इस उद्योग को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा आयात डयूटी 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर देने से बाहरी देशों से माल की आवक में वृद्धि हुयी है, जिससे देशी उत्पादकों को अपना माल खपाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आयात डयूटी में फिर से कमी करने की सोच मात्र से उत्पादकों के हौसले पस्त होते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि सोडा एश के देशी उद्योगों को विकसित श्रृंखला को जारी रखने के लिए इसके आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करें। आयात शुल्क में कमी इस उद्योग के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।